पत्र संख्या–6 / योजना–01–1024 / 2011गृ0आ0......................... /

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक दिसम्बर, 2016

विषयः– अग्निशमन सेवा के भवन निर्माण मद में स्वीकृत चालू योजनाओ के लिए राशि ₹ 887.974 लाख (आठ करोड़ सतासी लाख संतानवे हजार चार सौ रू0) मात्र विमुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पुलिस उप महानिरीक्षक–सह–उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक–3988, दिनांक–18.11.2016 के संबंध में कहना है कि गृह विभाग अन्तर्गत अग्निशाम सेवा के भवन निर्माण मद में निम्नांकित विभिन्न चालू योजनाओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹ 887.974 लाख (आठ करोड़ सतासी लाख संतानवे हजार चार सौ रू0) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है :–

क्र0	जिला/अनुमंडल का नाम जहां अग्निशमन भवन का निर्माण किया जा रहा है।	स्वी0 एवं दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	वित्तीय वर्ष 2013–14 में विमुक्त राशि	वित्तीय वर्ष 2014–15 में विमुक्त राशि	वित्तीय वर्ष 2015–16 में विमुक्त राशि	वर्तमान वितीय वर्ष 2016–17 में विमुक्त राशि	कुल विमुक्त राशि (5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नवगछिया	4188, दि0 30.05.2013	₹ 2,67,05,050	₹ 31,00,000		₹ 2,34,14,750	₹ 1,90,300	₹ 2,67,05,05
2.	हाजीपुर पुलिस लाईन	4541, दि0 02.06.2014	₹ 3,21,18,100		₹ 30,00,000		₹ 2,91,18,100	₹ 3,21,18,10
3.	खगड़ियॉ, सिवान, सीतामढ़ी, कटिहार, सहरसा एवं दरभंगा	5503, दि0 02.07.2014	₹ 19,27,08,600		₹ 13,27,08,600		₹ 2,00,00,000	₹ 15,27,08,60
4.	भागलपुर, शेरघाटी (गया) एवं महुआ (वैशाली)	9452, दि0 11.11.2014	₹ 6,44,49,750		₹ 90,00,000		₹ 3,94,89,000	₹ 4,84,89,00
	कुल		₹ 31,59,81,500	₹ 31,00,000	₹ 14,47,08,600	₹ 2,34,14,750	₹ 8,87,97,400	₹ 26,00,20,750

2. उपर्युक्त स्तम्भ–8 में विमुक्त राशि ₹ 887.974 लाख (आठ करोड़ सतासी लाख संतानवे हजार चार सौ रू0) राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या–22 के बजट शीर्ष –''4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय–051–निर्माण–0101–भवन निर्माण के लिए बिहार अग्निशाम सेवा'' विपत्र कोड–P4070000510101 विषयशीर्ष–53 01–मुख्य निर्माण कार्य तथा योजना स्कीम कोड–HOM-5422 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस उप महानिरीक्षक–सह–उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. भवन निर्माण का कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा किया जायेगा तथा राशि की निकासी कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पी0एल0 खाता में जमा किया जायेगा।

5. राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर की जायेगी।

6. निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. उपयोगिता प्रमाण–पत्र 3 माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. उपर्युक्त पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/–

(राधा नन्दन प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0 :–6 / योजना–01–1024 / 2011गृ0आ0.......9991....... / पटना, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षावाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना / पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना / पुलिस उप महानिरीक्षक–सह–उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राधा 21/12/16
सरकार के अवर सचिव
मनबर